VIDYA ICS

We Nurture Dreams...

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

	मूल संविधान	वर्तमान संविधान
भाग	22	25
अनुसूचियाँ	8	12
अनुच्छेद	395	470 (लगभग)

भारतीय संविधान : एक नजर में

संविधान की अनुसूचियाँ व भाग

भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।

अनुसूचियाँ

संविधान की अनुसूचियाँ

अनुसूचियाँ	विषय	संबद्ध अनुच्छेद
प्रथम अनुसूची	1. राज्यों के नाम एवं उनके राज्यक्षेत्र 2. संघ राज्यक्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएँ	अनुच्छेद 1 तथा 4
दूसरी अनुसूची	निम्नलिखित पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान (i) भारत का राष्ट्रपति (ii) राज्यों के राज्यपाल (iii) लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (iv) राज्यसभा के सभापति और उप-सभापति (v) राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (vi) राज्य विधानपरिषदों के सभापति और उप-सभापति (vii) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (viii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (ix) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	अनुच्छेद 59 (3), 65 (3), 75 (6), 97,125,148 (3),158 (3), 164 (5), 186 एवं 221
तीसरी अनुसूची	इसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं– (i) संघ के मंत्री (ii) संसद के चुनावों के प्रत्याशी (iii) संसद के सदस्य (iv) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (v) भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (vi) राज्यों के मंत्री (vii) राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी (viii) राज्य विधानमंडल के सदस्य (ix) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश	अनुच्छेद 75 (4), 84 (क), 99, 124 (6), 148 (2), 164 (3), 173 (क), 188 एवं 219
चौथी अनुसूची	राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन	अनुच्छेद 80 (2)
पाँचवीं अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान।	अनुच्छेद 244 (1)
छठी अनुसूची	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध।	अनुच्छेद 244 (2) एवं 275 (1)
सातवीं अनुसूची	संघ –सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती-सूची में शामिल विषय। (मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमश: 97, 66 तथा 47 विषय थे, पर वर्तमान 100 (संघ-सूची), 61 (राज्य सूची) तथा 52 (समवर्ती-सूची) विषय हैं।	अनुच्छेद 246
आठवीं अनुसूची	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। वर्तमान में ये 22 भाषाएँ हैं, जो मूल संविधान में 14 थी। ये भाषाएँ हैं- असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी (15वीं) भाषा को शामिल किया गया।	अनुच्छेद 344(1) एवं 351

	71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी भाषाएँ शामिल की गई। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषाओं को शामिल किया गया।	
नौवीं अनुसूची	इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम (1951) द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा ज़मींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 284 प्रविष्टियाँ हैं, जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 'वामन राव' के मामले (1981) में यह स्पष्ट कर दिया है कि 24 अप्रैल, 1973 (केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि) के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।	अनुच्छेद 31(ख)
दसवीं अनुसूची	इसमें दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध हैं। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। इसे 'दल-बदल विरोधी कानून' भी कहा जाता है।	अनुच्छेद 102(2) एवं 191(2)
ग्यारहवीं अनुसूची	इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व ज़िम्मेदारियाँ बताई गई हैं। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।	अनुच्छेद 243(छ)
बारहवीं अनुसूची	इसमें नगरपालिकाओं की शक्तियाँ व जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।	अनुच्छेद 243(ब)

भाग

भाग	विषय	अनुच्छेद
भाग 1	संघ और उसके क्षेत्र	(अनुच्छेद 1-4)
भाग 2	नागरिकता	(अनुच्छेद 5-11)
भाग 3	मौलिक अधिकार	(अनुच्छेद 12 - 35)
भाग 4	राज्य के नीति निदेशक तत्त्व	(अनुच्छेद 36 - 51)
भाग 4A	मूल कर्तव्य	(अनुच्छेद 51A)
भाग 5	संघ	(अनुच्छेद 52-151)
भाग 6	राज्य	(अनुच्छेद 152 -237)
भाग 7	संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित	(अनुचछेद 238)
भाग 8	संघ राज्य क्षेत्र	(अनुच्छेद 239-242)
भाग 9	पंचायत	(अनुच्छेद 243- 243O)
भाग 9A	नगरपालिकाएँ	(अनुच्छेद 243P - 243ZG)
भाग 10	अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र	(अनुच्छेद 244 - 244A)
भाग 11	संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध	(अनुच्छेद 245 - 263)
भाग 12	वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद	(अनुच्छेद 264 -300A)
भाग 13	भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	(अनुच्छेद 301 - 307)
भाग 14	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	(अनुच्छेद 308 -323)
भाग 14A	अधिकरण	(अनुच्छेद 323A - 323B)
भाग 15	निर्वाचन	(अनुच्छेद 324 -329A)

भाग 16	कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध	(अनुच्छेद 330- 342)
भाग 17	राजभाषा	(अनुच्छेद 343- 351)
भाग 18	आपात उपबन्ध	(अनुच्छेद 352 - 360)
भाग 19	प्रकीर्ण	(अनुच्छेद 361 -367)
भाग 20	संविधान में संशोधन	अनुच्छेद 368
भाग 21	अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध	(अनुच्छेद 369 - 392)
भाग 22	संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	(अनुच्छेद 393 - 395)

अनुच्छेद

भाग-1- संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद 1 से 4 तक)

अनुच्छेद-1	**संघ का नाम और राज्य क्षेत्र**
अनुच्छेद-2	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
अनुच्छेद-2A	सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना
अनुच्छेद-3	नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
अनुच्छेद-4	पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद-2 और अनुच्छेद-3 के अधीन बनाई गई विधियाँ

भाग-2- नागरिकता (अनुच्छेद 5 से 11 तक)

अनुच्छेद-5	**संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता**
अनुच्छेद-6	पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद-7	पाकिस्तान से भारत को प्रवजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद-8	भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार
अनुच्छेद-9	विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
अनुच्छेद-10	नागरिकता के अधिकारों का बना रहना
अनुच्छेद-11	संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

भाग-3- मूल अधिकार (साधारण) (अनुच्छेद-12 से 35 तक)

अनुच्छेद-12	**परिभाषा**
अनुच्छेद-13	मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

समता का अधिकार

अनुच्छेद-14	**विधि के समक्ष समता**
अनुच्छेद-15	धर्म मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
अनुच्छेद-16	लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता
अनुच्छेद-17	अस्पृश्यता का अंत
अनुच्छेद-18	उपाधियों का अंत

स्वातंत्र्य का अधिकार

अनुच्छेद-19	**वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण**
अनुच्छेद-20	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनुच्छेद-21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
अनुच्छेद-21 A	शिक्षा का अधिकार
अनुच्छेद-22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

शोषण के विरुद्ध अधिकार

अनुच्छेद-23	मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद-24	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद-25	अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-26	धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-27	किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता
अनुच्छेद-28	कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

अनुच्छेद-29	अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद-30	शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्प संख्यक वर्गों का अधिकार
अनुच्छेद-31	निरसित

कुछ विधियों की व्यावृत्ति

अनुच्छेद-31A	संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद-31B	कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण
अनुच्छेद-31C	कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद-31D	निरसित

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

अनुच्छेद-32	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार
अनुच्छेद-32A	राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता पर अनुच्छेद-32 के अधीन कार्यवाहियों विचार न किया जाना।

अनुच्छेद-33	इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि को लागू होने में, उपान्तरण करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-34	जब किसी क्षेत्र में सेनाविधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन
अनुच्छेद-35	इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान

भाग–4 राज्य के नीति के निदेशक तत्त्व (अनुच्छेद 36 से 51 तक)

अनुच्छेद-36	परिभाषा
अनुच्छेद-37	इस भाग में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना
अनुच्छेद-38	राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा
अनुच्छेद-39	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व
अनुच्छेद-39A	सामान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
अनुच्छेद-40	ग्राम पंचायतों का संगठन
अनुच्छेद-41	कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
अनुच्छेद-42	काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध
अनुच्छेद-43	कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
अनुच्छेद-43A	उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना
अनुच्छेद-43B	सहकारी समितियाँ, (कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी)
अनुच्छेद-44	नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
अनुच्छेद-45	6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध
अनुच्छेद-46	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

अनुच्छेद-47	पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
अनुच्छेद-48	कृषि और पशुपालन का संगठन।
अनुच्छेद-48A	पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
अनुच्छेद-49	राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
अनुच्छेद-50	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
अनुच्छेद-51	अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

भाग–4 क (मूल कर्तव्य)

अनुच्छेद-51A	मूल कर्तव्य

भाग-5 संघ (अनुच्छेद- 52 से 151 तक)

अध्याय 1 कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 52-73)

अनुच्छेद-52	भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद-53	संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद-55	राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद-56	राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
अनुच्छेद-57	राष्ट्रपति की पदावधि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनुच्छेद-58	राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
अनुच्छेद-59	राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद-60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-61	राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद-62	राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनुच्छेद-63	भारत का उपराष्ट्रपति
अनुच्छेद-64	उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना
अनुच्छेद-65	राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति मे उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद-66	उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद-67	उपराष्ट्रपति की पदावधि
अनुच्छेद-68	उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनुच्छेद-69	उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-70	अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद-71	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय
अनुच्छेद-72	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद-73	संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रिपरिषद् (अनुच्छेद 74-75)

अनुच्छेद-74	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
अनुच्छेद-75	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

महान्यायवादी

अनुच्छेद-76	भारत का महान्यायवादी

सरकारी कार्य का संचालन

अनुच्छेद-77	भारत सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद-78	राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य

अध्याय-2 संसद (साधारण) (अनुच्छेद 79-122)

अनुच्छेद-79	संसद का गठन
अनुच्छेद-80	राज्यसभा की संरचना
अनुच्छेद-81	लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद-82	प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन
अनुच्छेद-83	संसद के सदनों की अवधि
अनुच्छेद-84	संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
अनुच्छेद-85	संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद-86	सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
अनुच्छेद-87	राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद-88	सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

संसद के अधिकारी (अनुच्छेद 89-98)

अनुच्छेद-89	राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद-90	उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद-91	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
अनुच्छेद-92	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद-93	लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद-94	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद-95	अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
अनुच्छेद-96	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद-97	सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद-98	संसद का सचिवालय

कार्य संचालन (अनुच्छेद 99-100)

अनुच्छेद-99	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-100	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरर्हताएँ (अनुच्छेद 101-106)

अनुच्छेद-101	स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद-102	सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
अनुच्छेद-103	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
अनुच्छेद-104	अनुच्छेद–99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

अनुच्छेद-105	संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि
अनुच्छेद-106	सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया (अनुच्छेद 107-111)

अनुच्छेद-107	विधेयकों के पुनःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद-108	कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
अनुच्छेद-109	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद-110	धन विधेयक की परिभाषा
अनुच्छेद-111	विधेयकों पर अनुमति

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (अनुच्छेद 112-117)

अनुच्छेद-112	वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद-113	संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद-114	विनियोग विधेयक
अनुच्छेद-115	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद-116	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अवपादानुदान
अनुच्छेद-117	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारण प्रक्रिया (अनुच्छेद 118-122)

अनुच्छेद-118	प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद-119	संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद-120	संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद-121	संसद में चर्चा पर निर्बधन
अनुच्छेद-122	न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना

अध्याय-3- राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 123)

अनुच्छेद-123	संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अध्याय-4- संघ की न्यायपालिका (अनुच्छेद 124 -147)

अनुच्छेद-124	उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
अनुच्छेद-124A	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
अनुच्छेद-124B	आयोग के कृत्य
अनुच्छेद-124C	विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-125	न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद-126	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद-127	तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद-128	उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
अनुच्छेद-129	उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
अनुच्छेद-130	उच्चतम न्यायालय का स्थान
अनुच्छेद-131	उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता
अनुच्छेद-132	कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता
अनुच्छेद-133	उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता
अनुच्छेद-134	दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता
अनुच्छेद-134A	उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र
अनुच्छेद-135	विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा व्य होना
अनुच्छेद-136	अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त

अनुच्छेद-137	निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन
अनुच्छेद-138	उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
अनुच्छेद-139	कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना
अनुच्छेद-139A	कुछ मामलों का अंतरण
अनुच्छेद-140	उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ
अनुच्छेद-141	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना
अनुच्छेद-142	उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
अनुच्छेद-143	उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद-144	सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य किया जाना
अनुच्छेद-144 A	विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-145	न्यायालय के नियम आदि
अनुच्छेद-146	उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
अनुच्छेद-147	निर्वचन

अध्याय–5- भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक

अनुच्छेद-148	**भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक**
अनुच्छेद-149	नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ
अनुच्छेद-150	संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप
अनुच्छेद-151	संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग-6 राज्य (अनुच्छेद- 152 से 237 तक), अध्याय-1 साधारण [अनुच्छेद 152)

अनुच्छेद-152	परिभाषा

अध्याय-2, कार्यपालिका (अनुच्छेद 153-167), राज्यपाल (अनुच्छेद 153-162)

अनुच्छेद-153	**राज्यों के राज्यपाल**
अनुच्छेद-154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति
अनुच्छेद-155	राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद-156	राज्यपाल की पदावधि
अनुच्छेद-157	राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ
अनुच्छेद-158	राज्यपाल के पद के लिए शर्तें
अनुच्छेद-159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-160	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन
अनुच्छेद-161	क्षमा आदिकी और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
अनुच्छेद-162	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

राज्य मंत्रिपरिषद् (अनुच्छेद 163-164)

अनुच्छेद-163	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्
अनुच्छेद-164	मंत्रिपरिषद् मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

राज्य का महाधिवक्ता (अनुच्छेद 165)

अनुच्छेद-165	राज्य का महाधिवक्ता

सरकारी कार्य का संचालन (अनुच्छेद 166-167)

अनुच्छेद-166	राज्य की सरकार के कार्य का संचालन
अनुच्छेद-167	राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

अध्याय-3- राज्य का विधान-मंडल (अनुच्छेद 168-177)

अनुच्छेद-168	राज्यों के विधान-मंडलों का गठन
अनुच्छेद-169	राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन
अनुच्छेद-170	विधान सभाओं की संरचना
अनुच्छेद-171	विधान परिषदों की संरचना
अनुच्छेद-172	राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि
अनुच्छेद-173	राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता
अनुच्छेद-174	राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन
अनुच्छेद-175	सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार
अनुच्छेद-176	राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
अनुच्छेद-177	सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी (अनुच्छेद 178-187)

अनुच्छेद-178	विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
अनुच्छेद-179	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद-180	अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
अनुच्छेद-181	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद-182	विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद-183	सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
अनुच्छेद-184	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
अनुच्छेद-185	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
अनुच्छेद-186	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
अनुच्छेद-187	राज्य के विधानमंडल का सचिवालय

कार्य संचालन (अनुच्छेद 188-189)

अनुच्छेद-188	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-189	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरर्हताएँ (अनुच्छेद 190-196)

अनुच्छेद-190	स्थानों का रिक्त होना
अनुच्छेद-191	सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
अनुच्छेद-192	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
अनुच्छेद-193	अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

अनुच्छेद-194	विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ विशेषाधिकार, आदि
अनुच्छेद-195	सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया (अनुच्छेद 196-201)

अनुच्छेद-196	विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध
अनुच्छेद-197	धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन
अनुच्छेद-198	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
अनुच्छेद-199	"धन विधेयक" की परिभाषा
अनुच्छेद-200	विधेयकों पर अनुमति
अनुच्छेद-201	विचार के लिए आरक्षित विधेयक

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (अनुच्छेद 202-207)

अनुच्छेद-202	वार्षिक वित्तीय विवरण
अनुच्छेद-203	विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
अनुच्छेद-204	विनियोग विधेयक
अनुच्छेद-205	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
अनुच्छेद-206	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
अनुच्छेद-207	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारणतया प्रक्रिया (अनुच्छेद 208-212)

अनुच्छेद-208	प्रक्रिया के नियम
अनुच्छेद-209	राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
अनुच्छेद-210	विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद-211	विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन
अनुच्छेद-212	न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जाँच न किया जाना

अध्याय-4- राज्यपाल की विधायी शक्ति (अनुच्छेद 213)

अनुच्छेद-213	विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

अध्याय- 5- राज्यों के उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214-232)

अनुच्छेद-214	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद-215	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
अनुच्छेद-216	उच्च न्यायालयों का गठन
अनुच्छेद-217	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
अनुच्छेद-218	उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना
अनुच्छेद-219	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनुच्छेद-220	स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन
अनुच्छेद-221	न्यायाधीशों के वेतन आदि
अनुच्छेद-222	किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण
अनुच्छेद-223	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
अनुच्छेद-224	अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद-224A	उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
अनुच्छेद- 225	विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
अनुच्छेद-226	कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद-227	सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
अनुच्छेद-228	कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण
अनुच्छेद-229	उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय

अनुच्छेद-230	उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार
अनुच्छेद-231	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

अध्याय-6- अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 233-237)

अनुच्छेद-233	**जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति**
अनुच्छेद-233A	कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण
अनुच्छेद-234	न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
अनुच्छेद-235	अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
अनुच्छेद-236	निर्वचन
अनुच्छेद-237	कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होगा

भाग-7 (अनुच्छेद-238)

अनुच्छेद-238	निरसित

भाग-8- संघ राज्य क्षेत्र (अनुच्छेद-239 से 242 तक)

अनुच्छेद-239	**संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन**
अनुच्छेद-239A	कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन
अनुच्छेद-239AA	दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-239AB	सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद-239B	विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति
अनुच्छेद-240	कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद-241	संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद-242	निरसित

भाग–9- पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 O तक

अनुच्छेद-243	**परिभाषाएँ**
अनुच्छेद-243A	ग्राम सभा
अनुच्छेद-243B	पंचायतों का गठन
अनुच्छेद-243C	पंचायतों की संरचना
अनुच्छेद-243D	स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद-243E	पंचायतों की अवधि, आदि
अनुच्छेद-243F	सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
अनुच्छेद-243G	पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद-243H	पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ
अनुच्छेद-243I	वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन
अनुच्छेद-243J	पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
अनुच्छेद-243K	पंचायतों के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद-243L	संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
अनुच्छेद-243M	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
अनुच्छेद-243N	विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना
अनुच्छेद-243O	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

भाग–9क- नगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243 त से 243 यछ, तक)

अनुच्छेद-243P	परिभाषाएँ
अनुच्छेद-243Q	नगरपालिकाओं का गठन
अनुच्छेद-243R	नगरपालिकाओं की संरचना
अनुच्छेद-243S	वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना
अनुच्छेद-243T	स्थानों का आरक्षण
अनुच्छेद-243U	नगरपालिकाओं की अवधि, आदि
अनुच्छेद-243V	सदस्यता के लिए निरर्हताएँ
अनुच्छेद-243W	नगरपालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद-243X	नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
अनुच्छेद-243Y	वित्त आयोग
अनुच्छेद-243Z	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
अनुच्छेद-243ZA	नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
अनुच्छेद-243ZB	संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
अनुच्छेद-243ZC	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू होना
अनुच्छेद-243ZD	जिला योजना के लिए समिति
अनुच्छेद-243ZE	महानगर योजना के लिए समिति
अनुच्छेद-243ZF	विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना
अनुच्छेद-243ZG	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

भाग–9 B- सहकारी समितियाँ (अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक)

अनुच्छेद-243ZH	परिभाषाएँ
अनुच्छेद-243ZI	सहकारी सोसाइटियों का निगमन
अनुच्छेद-243ZJ	बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या एवं पदावधि
अनुच्छेद-243ZK	बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन
अनुच्छेद-243ZL	बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन
अनुच्छेद-243ZM	सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा
अनुच्छेद-243ZN	साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना
अनुच्छेद-243ZO	सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार
अनुच्छेद-243ZP	विवरणियाँ
अनुच्छेद-243ZQ	अपराध और शस्तियाँ
अनुच्छेद-243ZR	बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों का लागू होना
अनुच्छेद-243ZS	संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना
अनुच्छेद-243ZT	विद्यमान विधियों का जारी रहना

भाग-10- अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र (अनुच्छेद-244 से 244 क तक)

अनुच्छेद-244	**अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन**
अनुच्छेद-244A	असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रि-परिषद् का या दोनों का सृजन

भाग–11- संघ और राज्यों के बीच संबंध (अनुच्छेद- 245 से 263 तक)

अध्याय-1 - विधायी संबंध (अनुच्छेद 245-255) विधायी शक्तियों का वितरण

अनुच्छेद-245	संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार
अनुच्छेद-246	संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु
अनुच्छेद-246A	माल और सेवाओं के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-247	कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-248	अविशिष्ट विधायी शक्तियाँ
अनुच्छेद-249	राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-250	यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्यसूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-251	संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
अनुच्छेद-252	दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना
अनुच्छेद-253	अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान
अनुच्छेद-254	संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति
अनुच्छेद-255	सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना

अध्याय-2- प्रशासनिक संबंध साधारण (अनुच्छेद 256-261)

अनुच्छेद-256	राज्यों की ओर संघ की बाध्यता
अनुच्छेद-257	कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद-257A	निरसित
अनुच्छेद-258	कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति
अनुच्छेद-258A	संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति
अनुच्छेद-259	निरसित
अनुच्छेद-260	भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता
अनुच्छेद-261	सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ

जल संबंधी विवाद (अनुच्छेद 262)

अनुच्छेद-262	अंतराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन

राज्यों के बीच समन्वय (अनुच्छेद 263)

अनुच्छेद-263	अंतरराज्य परिषद् के संबंध में उपबंध

भाग-12- वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद (अनुच्छेद- 264 से 300 क तक)

अध्याय-1 वित्त साधारण (अनुच्छेद 264-281)

अनुच्छेद-264	निर्वचन
अनुच्छेद-265	विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना
अनुच्छेद-266	भारत और राज्यों की संचित निधियाँ और लोक लेखे
अनुच्छेद-267	आकस्मिकता निधि

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण

अनुच्छेद-268	संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क
अनुच्छेद-268A	संघ द्वारा उद्ग्रहीत किया जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संग्रहीत और विनियोजित किया जाने वाला सेवाकर

अनुच्छेद-269	संघ द्वारा उद्ग्रहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर
अनुच्छेद-269A	अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल एवं सेवाकर का उद्ग्रहण और संग्रहण
अनुच्छेद-270	उद्ग्रहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण
अनुच्छेद-271	कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार
अनुच्छेद-272	निरसित
अनुच्छेद-273	जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान
अनुच्छेद-274	ऐसे कराधान पर जिसमें राय हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा
अनुच्छेद-275	कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
अनुच्छेद-276	वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर
अनुच्छेद-277	व्यावृत्ति
अनुच्छेद-278	निरसित
अनुच्छेद-279	"शुद्ध आगम"आदि की गणना
अनुच्छेद-279A	माल और सेवाकर परिषद्
अनुच्छेद-280	वित्त आयोग
अनुच्छेद-281	वित्त आयोग की सिफारिशें

<u>प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध (अनुच्छेद 282-291)</u>

अनुच्छेद-282	**संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय**
अनुच्छेद-283	संचित निधियों, आकस्मिकता, निधियों और लोकलेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि
अनुच्छेद-284	लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा
अनुच्छेद-285	संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट
अनुच्छेद-286	माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन
अनुच्छेद-287	विद्युत पर करों से छूट
अनुच्छेद-288	जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट
अनुच्छेद-289	राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट
अनुच्छेद-290	कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन
अनुच्छेद-290A	कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय
अनुच्छेद-291	निरसित

अध्याय-2 - उधार लेना (अनुच्छेद 292-293)

अनुच्छेद-292	**भारत सरकार द्वारा उधार लेना**
अनुच्छेद-293	**राज्यों द्वारा उधार लेना**

अध्याय-3- संपत्ति, संविदाएँ, अधिकार, दायित्त्व, बाध्यताएँ और वाद (अनुच्छेद 294-300)

अनुच्छेद-294	**कुछ दशाओं में सम्पत्ति, आस्तियों अधिकारों, दायित्त्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार**
अनुच्छेद-295	अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों अधिकारों, दायित्त्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद-296	राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति
अनुच्छेद-297	राज्य क्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीप मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना
अनुच्छेद-298	व्यापार करने आदि की शक्ति
अनुच्छेद-299	संविदाएँ
अनुच्छेद-300	वाद और कार्यवाहियाँ

अध्याय–4 - संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 300क)

अनुच्छेद-300A	विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना

भाग–13- भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य वाणिज्य और समागम (अनुच्छेद-301 से 307 तक)

अनुच्छेद-301	व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता
अनुच्छेद-302	व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति व्यापार
अनुच्छेद-303	वाणिज्य के संबंध संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन
अनुच्छेद-304	राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन
अनुच्छेद-305	विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति
अनुच्छेद-306	निरसित
अनुच्छेद-307	अनुच्छेद–301 से अनुच्छेद–304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति

भाग – 14- संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ (अनुच्छेद-308 से 314 तक)

अध्याय-1 सेवाएँ (अनुच्छेद 308-314)

अनुच्छेद-308	निर्वचन
अनुच्छेद-309	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्त
अनुच्छेद-310	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि
अनुच्छेद-311	संघ याराज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना
अनुच्छेद-312	अखिल भारतीय सेवाएँ
अनुच्छेद-312A	कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शो में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-313	संक्रमणकालीन उपबंध
अनुच्छेद-314	निरसित

अध्याय–2 - लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 315-323)

अनुच्छेद-315	संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद-316	सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि
अनुच्छेद-317	लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना
अनुच्छेद-318	आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति
अनुच्छेद-319	आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध
अनुच्छेद-320	लोक सेवा आयोग के कृत्य
अनुच्छेद-321	लोक सेवा आयोगों के व्यय लोक कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति
अनुच्छेद-322	लोक सेवा आयोगों के व्यय
अनुच्छेद-323	लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन

भाग-14 क अधिकरण – (अनुच्छेद-323 क से 323 ख)

अनुच्छेद-323A	**प्रशासनिक अधिकरण**
अनुच्छेद-323B	अन्य विषयों के लिए अधिकरण

भाग-15 निर्वाचन - (अनुच्छेद-324 से 329 तक)

अनुच्छेद-324	**निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।**
अनुच्छेद-325	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना।
अनुच्छेद-326	लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना
अनुच्छेद-327	विधान-मंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद-328	किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति
अनुच्छेद-329	निर्वाचन संबधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

भाग- 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध- (अनुच्छेद-330 से 342 तक)

अनुच्छेद-330	**लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण**
अनुच्छेद-331	लोकसभा में आंग्ल - भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद-332	राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण
अनुच्छेद-333	राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद-334	स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात् न रहना
अनुच्छेद-335	सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे
अनुच्छेद-336	कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद-337	आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध
अनुच्छेद-338	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद-338A	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद-338B	पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग
अनुच्छेद-339	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण
अनुच्छेद-340	पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति
अनुच्छेद-341	अनुसूचित जातियाँ
अनुच्छेद-342	अनुसूचित जन जातियाँ
अनुच्छेद-342A	सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग

भाग–17 राजभाषा (अनुच्छेद-343 से 351 तक)- अध्याय–1 संघ की भाषा

अनुच्छेद-343	संघ की राजभाषा
अनुच्छेद-344	राज भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

अध्याय-2 प्रादेशिक भाषाएँ- (अनुच्छेद 345-347)

अनुच्छेद-345	**राज्य की राजभाषा या राज भाषाएँ**
अनुच्छेद-346	एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा
अनुच्छेद-347	किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

अध्याय–3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों की भाषा- (अनुच्छेद 348, 349)

अनुच्छेद-348	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा
अनुच्छेद-349	भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अध्याय–4 विशेष निर्देश - (अनुच्छेद 350-351)

अनुच्छेद-350	**व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा**
अनुच्छेद-350A	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ
अनुच्छेद-350B	भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
अनुच्छेद-351	हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश

भाग-18 आपात उपबंध- (अनुच्छेद-352 से 360 तक)

अनुच्छेद-352	आपात की उद्‌घोषणा
अनुच्छेद-353	आपात की उद्‌घोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद-354	जब आपात की उद्‌घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना
अनुच्छेद-355	बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य
अनुच्छेद-356	राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध
अनुच्छेद-357	अनुच्छेद-356 के अधीन की गई उद्‌घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग
अनुच्छेद-358	आपात के दौरान अनुच्छेद-19 के उपबंधों का निलंबन
अनुच्छेद-359	आपात के दौरान भाग-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
अनुच्छेद-359A	Rep. w.e.f. 6-1-1990 by Sixty Third Amendment Act, Sec.30
अनुच्छेद-360	वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

भाग–19 प्रकीर्ण- (अनुच्छेद- 361 से 367 तक)

अनुच्छेद-361	राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज प्रमुखों का संरक्षण
अनुच्छेद-361A	संसद और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण
अनुच्छेद-361B	लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति की निरर्हता
अनुच्छेद-362	निरसित
अनुच्छेद-363	कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन
अनुच्छेद-363A	देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत
अनुच्छेद-364	महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-365	संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव
अनुच्छेद-366	परिभाषाएँ
अनुच्छेद-367	निर्वचन

भाग-20 संविधान का संशोधन- (अनुच्छेद 368)

अनुच्छेद-368	संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया

भाग-21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध- (अनुच्छेद-369 से 392)

अनुच्छेद-369	राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानों वे समव के विषय हों
अनुच्छेद-370	जम्मू–कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध
अनुच्छेद-371	महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-371A	नागालैण्ड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-371B	असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-371C	मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-371D	आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-371E	आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविधालय की स्थापना
अनुच्छेद-371F	सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-371G	मिज़ोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-371H	अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-371I	गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-371J	कर्नाटक गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-372	विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन
अनुच्छेद-372A	विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अनुच्छेद-373	निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद-374	फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद-375	संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना
अनुच्छेद-376	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद-377	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध
अनुच्छेद-378	लोकसेवा आयोगों के बारे में उपबंध
अनुच्छेद-378A	आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध
अनुच्छेद-379-391	निरसित
अनुच्छेद-392	कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

भाग-22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी के प्राधिकृत पाठ और निरसन

(अनुच्छेद 393 से 395)

अनुच्छेद-393	**संक्षिप्त नाम**
अनुच्छेद-394	प्रारंभ-कुछ अनुच्छेद 26 नवम्बर, 1949 से लागू
अनुच्छेद-394A	हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ
अनुच्छेद-395	निरसन